

नम्बर के
अहकाम
हुक्म को
में जारी

प्रकाश शर्मा बनाम सुभाषचन्द्र वर्गौ
मु०नं० 163/2017
दावा अ०धा० 88,53 व 188 आरटीए

दिनांक -18.02.2020 वकील वादी उपस्थित। आवाज लगवाई गई प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं तथा न ही उनकी तरफ से वकील उपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विभाजन प्रस्ताव पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 1008, 1009, 1016 वाके ग्राम पिलानी का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भू.अ. /2016/268 दिनांक 03.01.2020 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

